2013:CGHC:3705

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायाधीश श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1549/ 2012

याचिकाकर्ता : रमेश गोयल

बनाम

उत्तरवादीगण : हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य

निर्णय

आदेश हेतु दिनांक 25.11.2013 को सूचीबद्ध किया गया।

सही/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2013:CGHC:3705

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायाधीश श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

रिट याचिका (सिविल)क्रमांक 1549/ 2012

याचिकाकर्ता : रमेश गोयल

बनाम

उत्तरवादीगण : हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री एम.सी. जेना सहित श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2/केविएटर की ओर से श्री एन. नाहा रॉय, अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 25.11.2013 को पारित)

(1) याचिकाकर्ता द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत यह रिट याचिका दिनांक 06.08.2012 (अनुलग्नक पी.-5) के आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उत्तरवादी—हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में "कॉर्पोरेशन") द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित दिनांक 08 जुलाई 2005 (दस्तावेज-क) का डीलरशिप करार समाप्त कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि उत्तरवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे उसे दिनांक 08 जुलाई 2005 के करार के अनुसार रिटेल आउटलेट संचालित करने की अनुमति प्रदान करें, अथवा वैकल्पिक रूप से उत्तरवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने उपकरण एवं सहायक सामग्री उक्त परिसर से उचित समयावधि के भीतर हटा लें, ताकि याचिकाकर्ता उक्त परिसर में अन्य कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सके और अपनी आजीविका अर्जित कर सके।

(2) इस रिट याचिका में निहित विवाद के निराकरण हेतु आवश्यक मूलभूत तथ्यों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है।

(3) याचिकाकर्ता को प्रारंभ में उत्तरवादी–कॉर्पोरेशन द्वारा दिनांक 21.06.1999 (अनुलग्नक पी.आर./1) को निष्पादित एक वाणिज्यिक करार के अंतर्गत पेंड्रा रोड नगर में रिटेल आउटलेट

2013:CGHC:3705

डीलर के रूप में नियुक्त किया गया था। समय के साथ, रिटेल आउटलेट का पुनर्स्थापन किया गया, जिसके उपरांत दिनांक 08 जुलाई 2005 का डीलरशिप करार संपन्न हुआ। यह उल्लेखनीय है कि कॉर्पोरेशन ने पूर्व में दिनांक 12.09.2003 (अनुलग्नक पी.-1) को याचिकाकर्ता के साथ भूमि पट्टा करार किया था, जिसके अंतर्गत उसकी भूमि को पट्टे पर लेकर उसे रिटेल आउटलेट संचालित करने की अनुमति दी गई थी।

तथापित, कुछ समय पश्चात याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी–कॉर्पोरेशन के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि याचिकाकर्ता आउटलेट से तेल की बिक्री के संबंध में आवश्यक न्यूनतम अनुपालन करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेशन द्वारा याचिकाकर्ता को नोटिस भेजे जाने लगे। उक्त नोटिसों को याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादियों दोनों ने अपने-अपने अभिलेखों के साथ प्रस्तुत किया है। कॉर्पोरेशन ने दिनांक 05.06.2006 का नोटिस तथा अन्य कई नोटिस (सामूहिक रूप से अनुलग्नक आर.-1/2) प्रस्तुत किए हैं। प्रतीत होता है कि इन नोटिसों के बावजूद बिक्री में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जिससे उत्तरवादी–कॉर्पोरेशन संतुष्ट हो सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) दिनांक 07.02.2012 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी की गई, जिसमें कुछ अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए यह कहा गया कि दिनांक 08 जुलाई 2005 के डीलरशिप करार का उल्लंघन हुआ है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता, दिनांक 05.06.2006 से 29.01.2012 तक अर्थात् लगभग 6 वर्षों के दौरान कई नोटिस दिए जाने के बावजूद, बिक्री बढ़ाकर अनुपालन में सुधार करने तथा रिटेल आउटलेट का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने में असफल रहा। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह अपना उत्तर प्रस्तुत करे, अन्यथा उत्तर असंतोषजनक पाए जाने पर कॉर्पोरेशन के डीलरशिप करार एवं नीति-निर्देशों के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.02.2012 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु कुछ कारण बताए। किन्तु कॉर्पोरेशन उक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, परिणामस्वरूप दिनांक 06.08.2012 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा डीलरशिप करार को दिनांक 08 जुलाई 2005 के करार के खण्ड 8, 9, 42, 44 एवं 55(क) के उल्लंघन के आधार पर समाप्त कर दिया गया। यही आदेश इस रिट याचिका में चुनौती का विषय है।

2013:CGHC:3705

(5) याचिकाकर्ता के करार को समाप्त करने की उत्तरवादियों की कार्यवाही की वैधता एवं औचित्य को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत, करार की शर्तों के विरुद्ध, मनमानी, दुर्भावनापूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण है। विस्तार से यह तर्क दिया गया कि उत्तरवादी अधिकारियों के दबाव में याचिकाकर्ता को रिटेल आउटलेट का स्थान परिवर्तन करना पड़ा, जबकि वह पूर्व में सुचारु एवं लाभप्रद रूप से संचालित हो रहा था। याचिकाकर्ता के पास सौदेबाजी की कोई क्षमता नहीं थी और उसे उत्तरवादी–कॉर्पोरेशन द्वारा अपनी भूमि निगम को पट्टे पर आउटलेट संचालन हेतु देने के लिए विवश किया गया। आउटलेट के संचालन हेतु आधुनिक सुविधाएँ स्थापित करने का आश्वासन दिया गया था, किन्तु वह पूरा नहीं किया गया। वर्ष 2008 के बाद, दुर्भाग्यवश, याचिकाकर्ता को कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जैसे—उसकी पत्नी की बीमारी, भारी चिकित्सा व्यय, व्यवसाय पर पर्याप्त ध्यान न दे पाना, मुख्य सड़क के परिवर्तन से बिक्री पर प्रभाव, उसके पुत्र के वैवाहिक विवाद आदि। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत किया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण बिक्री प्रभावित हुई। इसके बावजूद डीलरशिप करार समाप्त करने की कार्यवाही की गई। उनके अनुसार, यह कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। साथ ही यह कार्यवाही भेदभावपूर्ण भी है, क्योंकि उसी क्षेत्र के अन्य डीलर, जो इसी प्रकार संतोष जनक प्रदर्शन करने में असफल थे, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह भी कहा गया कि परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि प्राधिकारियों ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पहले से ही निर्णय कर लिया था और वास्तव में पक्षपातपूर्ण थे, क्योंकि याचिकाकर्ता के मामले में निर्णय होने से पूर्व ही किसी अन्य पक्ष को उक्त आउटलेट को नियंत्रण में लेने के निर्देश दे दिए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) इसके विपरीत, उत्तरवादियों के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का यह कथन कि उत्तरवादियों के दबाव में उसकी इच्छा के विरुद्ध रिटेल आउटलेट का पुनर्स्थापन किया गया, तथ्यात्मक रूप से गलत है। वस्तुतः, याचिकाकर्ता के स्वयं के आवेदन, दिनांक 19.09.2001 (अनुलग्नक आर.-1/1) के आधार पर ही आउटलेट का पुनर्स्थापन किया गया था। दिनांक 12.09.2003 का पट्टा करार केवल इस उद्देश्य से किया गया था कि याचिकाकर्ता

2013:CGHC:3705

को डीलरशिप प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके, जिसके फलस्वरूप उत्तरवादी द्वारा दिनांक 08 जुलाई 2005 को डीलरशिप करार किया गया, जो दोनों पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार एवं निष्पादित शर्तों एवं नियमों पर आधारित था। यह आरोप कि याचिकाकर्ता को किसी दबाव या बल प्रयोग द्वारा करार की शर्तों को स्वीकार करने के लिए विवश किया गया, असत्य एवं बाद में गढा गया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2006 से लगभग 6 वर्षों तक याचिकाकर्ता को बिक्री प्रदर्शन सुधारने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए, किन्तु अनेक बार अवसर दिए जाने के बावजूद वह रिटेल आउटलेट की बिक्री बढ़ाने में असफल रहा। उत्तरवादियों के अध्ययन के अनुसार, याचिकाकर्ता का खराब प्रदर्शन उसके द्वारा आवश्यक कदम न उठाए जाने के कारण था, जिसके परिणामस्वरूप करार की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन हुआ। उसी क्षेत्र में संचालित अन्य आउटलेट्स याचिकाकर्ता की तुलना में बेहतर एवं संतोषजनक रूप से संचालित पाए गए। आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को बिक्री सुधारने हेतु समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था और करार समाप्त करने से पूर्व विधिवत कारण बताओ नोटिस दी गई थी, जिसका उत्तर याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि माध्यस्थम् की कार्यवाही का सहारा लेने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, अतः इस आधार पर भी याचिका निरस्त किए जाने योग्य है। पक्षपात या दुर्भावना के आरोप को अस्वीकार करते हुए कहा गया कि आउटलेट को बंद नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उत्तरवादियों ने एक अस्थायी व्यवस्था की, ताकि यदि डीलरशिप समाप्त की जाती है, तो नए डीलर की नियुक्ति तक आउटलेट का संचालन निर्बाध रूप से जारी रह सके। यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्तमान व्यवस्था केवल अस्थायी प्रकृति की है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का परिशीलन किया ।

(8) उत्तरवादियों द्वारा रिट याचिका की ग्राह्यता के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है, इस आधार पर कि विवाद के समाधान हेतु माध्यस्थम् का उपाय उपलब्ध है।

(9) यह विवादित नहीं है कि दिनांक 08 जुलाई 2005 (दस्तावेज-क) के करार में धारा 66 के अंतर्गत माध्यस्थम् का प्रावधान मौजूद है, जिसके अनुसार विवाद या मतभेद का समाधान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त कर किया जाना है।

(10) याचिकाकर्ता, माध्यस्थम् के माध्यम से विवाद के समाधान जैसे वैकल्पिक उपाय के उपलब्ध होने के बावजूद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय के असाधारण अधिकारिता का सहारा लेना चाहता है। इसका मुख्य आधार यह है कि उत्तरवादियों द्वारा करार समाप्त करने की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, अतः यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया अन्य आधार यह है कि उत्तरवादियों ने पूर्णतः अयुक्तियुक्त तरीके से कार्य किया, बिना उन विभिन्न कारणों पर विचार किए, जिन्हें याचिकाकर्ता ने बिक्री में कमी के कारणों को स्पष्ट करने हेतु प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया है कि उत्तरवादियों की कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि वर्तमान करार समाप्त करने से पूर्व ही उन्होंने किसी अन्य डीलर की नियुक्ति कर दी थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवादियों ने पूर्व में ही मामले का निर्णय कर लिया था और किसी तीसरे पक्ष को लाभ पहुँचाने का उद्देश्य था। अतः यह कार्यवाही सद्भावना से प्रेरित न होकर, बाह्य विचारों से प्रेरित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) जहाँ तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का प्रश्न है, तथ्यों के आधार पर यह आधार सिद्ध नहीं होता। उत्तरवादी ने दिनांक 07.02.2012 (अनुलग्नक पी.-3) को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी की थी। यह नोटिस विस्तृत था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि यदि उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, तो याचिकाकर्ता के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.02.2012 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात दिनांक 06.08.2012 (अनुलग्नक पी.-5) को आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जो उत्तरवादी कॉर्पोरेशन द्वारा पारित एक विस्तृत आदेश है। अतः केवल इस आधार पर कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, और इस कारण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इस आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती।

(12) यह तर्क कि आदेश अयुक्तियुक्त ढंग से पारित किया गया है, भी अभिलेखों में उपलब्ध कथनों एवं दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता। याचिकाकर्ता का यह बारंबार दावा कि उसे रिटेल आउटलेट का स्थान बदलने के लिए विवश किया गया, एक विवादित तथ्य का प्रश्न है, क्योंकि उत्तरवादियों ने याचिकाकर्ता के स्वयं के दिनांक 19.09.2001 (अनुलग्नक आर.-1/1) के पत्र के आधार पर स्पष्ट रूप से यह कहा है कि पुनर्स्थापन याचिकाकर्ता के अनुरोध पर ही किया गया था। इसके अतिरिक्त, उत्तरवादियों ने वर्ष 2006 से लेकर दिनांक 07.02.2012 के

2013:CGHC:3705

कारण बताओ नोटिस तक, अर्थात् लगभग 6 वर्षों की अवधि में याचिकाकर्ता को जारी किए गए अनेक पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को अनेक बार बिक्री सुधारने के लिए कहा जाता रहा, किन्तु वह निर्धारित बिक्री लक्ष्य प्राप्त करने में लगातार असफल रहा। यह ऐसा मामला नहीं है कि उत्तरवादियों ने जल्दबाजी में एक-दो नोटिस देकर अचानक करार समाप्त कर दिया हो, बिना याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिए। वर्तमान मामला ऐसा है जिसमें लगभग 6 वर्षों तक याचिकाकर्ता को अनेक बार नोटिस देकर तेल की बिक्री में सुधार हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए। यद्यपि याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत कठिनाइयाँ हो सकती हैं, किन्तु वे अधिकतम सहानुभूति या करुणा का आधार हो सकती हैं, परंतु वे इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत हस्तक्षेप करने के लिए वैध विधिक आधार नहीं बनतीं। केवल कारण बताओ नोटिस ही नहीं, बल्कि आक्षेपित आदेश भी एक विस्तृत आदेश है और इसे किसी जल्दबाजी या असावधानी में पारित किया गया आदेश नहीं कहा जा सकता। आदेश से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादियों ने निर्णय लेने से पूर्व सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार किया है। अतः अयुक्तियुक्तता के आधार पर भी इस आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) याचिकाकर्ता ने उत्तरवादियों की कार्यवाही को भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी है कि कॉर्पोरेशन ने अन्य समान परिस्थितियों वाले डीलरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि वे भी निर्धारित बिक्री लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे, परंतु केवल याचिकाकर्ता के साथ ही प्रतिकूल भेदभाव किया गया। किसी विशेष रिटेल आउटलेट की बिक्री में कमी के कारण, किसी अन्य क्षेत्र/स्थान में स्थित रिटेल आउटलेट की बिक्री में कमी के कारणों से भिन्न हो सकते हैं। अतः केवल इस आधार पर कि कुछ मामलों में कॉर्पोरेशन उन डीलरों से संतुष्ट था और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उत्तरवादियों ने भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य किया है। व्यावसायिक मामलों में किसी डीलर के प्रदर्शन पर प्रभाव डालने के अनेक कारण हो सकते हैं। किसी विशेष मामले में खराब प्रदर्शन डीलर की अपनी असावधानी के कारण है या उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से, यह सभी ऐसे विषय हैं जिन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विषयगत रूप से विचार किया जाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ आंकड़ों के आधार पर भेदभाव का आरोप सिद्ध नहीं माना जा सकता।

2013:CGHC:3705

(14) दुर्भावना एवं बाह्य विचारों के आधार पर यह आरोप कि उत्तरवादियों ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पहले ही निर्णय ले लिया था और किसी अन्य पक्ष को डीलरशिप देने का निश्चय कर लिया था, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं परिस्थितियों के सूक्ष्म परीक्षण से सिद्ध नहीं होता। आक्षेपित डीलरशिप समाप्ति आदेश दिनांक 06.08.2012 को पारित किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो पत्र—दिनांक 06.08.2012 (अनुलग्नक क.-1) जो कलेक्टर को संबोधित है तथा उसी दिनांक का एक अन्य पत्र जो "गोयल एंटरप्राइजेज" को संबोधित है—दोनों ही उत्तरवादी कॉर्पोरेशन द्वारा उसी दिन, अर्थात् 06.08.2012 को, समाप्ति आदेश के साथ ही जारी किए गए थे। इन दोनों पत्रों की विषयवस्तु से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादियों ने रिटेल आउटलेट के बंद होने तथा तेल की आपूर्ति बाधित होने से बचाने के उद्देश्य से, जो कि लोकहित के प्रतिकूल होता, एक अस्थायी व्यवस्था की थी। यह ऐसा मामला नहीं है कि कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व या दिनांक 06.08.2012 के समाप्ति आदेश पारित करने से पहले ही उत्तरवादियों ने किसी अन्य तीसरे पक्ष को डीलरशिप देने का निर्णय कर लिया था। यह केवल याचिकाकर्ता की डीलरशिप समाप्त करने की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में की गई एक अस्थायी व्यवस्था थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में उठाए गए अन्य सभी तर्क मुख्यतः करार से उत्पन्न अधिकारों एवं दायित्वों से संबंधित संविदात्मक विवाद के क्षेत्र में आते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का लोक विधि तत्व नहीं है। अतः वर्तमान मामले में डीलरशिप करार समाप्त करने की उत्तरवादियों की कार्यवाही में कोई सार्वजनिक तत्व निहित नहीं है। जैसा कि ऊपर विचार किया गया है, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी आधार सिद्ध नहीं होते और शेष आधार गंभीर रूप से विवादित तथ्यों से संबंधित संविदात्मक विवाद हैं, जो करार के अंतर्गत अधिकारों एवं दायित्वों से जुड़े हुए हैं।

(16) यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जहाँ कोई वैकल्पिक एवं प्रभावी उपाय उपलब्ध हो, वहाँ रिट न्यायालय सामान्यतः ऐसे विवादों को स्वीकार नहीं करता और पक्षकारों को उस मंच पर जाने के लिए निर्देशित करता है, जो विवाद के निराकरण हेतु निर्धारित है। कुछ अपवादात्मक परिस्थितियाँ अवश्य होती हैं, जिनमें न्यायालय याचिका को निरस्त करने के बजाय विचार करने का निर्णय ले सकता है, जैसे—जब आदेश अधिकार क्षेत्र से परे हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता हो, दुर्भावनापूर्ण हो, या मामला मौलिक

2013:CGHC:3705

अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित हो। हालांकि ये परिस्थितियाँ पूर्ण नहीं हैं और प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय अपने असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने से इंकार भी कर सकता है, यदि उसे यह प्रतीत हो कि पक्षकार के पास प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। यह भी समान रूप से स्थापित है कि संविदात्मक विवादों में रिट न्यायालय करार की शर्तों को सीधे लागू नहीं करता, जब तक कि राज्य, जो करार का एक पक्ष है, की कार्यवाही प्रथम दृष्टया मनमानी, भेदभावपूर्ण, अविवेकपूर्ण, अन्यायपूर्ण या लोक विधि के दायित्वों के उल्लंघन में न पाई जाए। ऐसे मामलों में, यद्यपि विवाद संविदात्मक क्षेत्र का हो, उच्च न्यायालय रिट याचिका पर विचार कर सकता है। जहाँ किसी संविदात्मक विवाद में लोक विधि का तत्व निहित हो, वहाँ संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु साधारण करार उल्लंघन के मामलों में, जो पूर्णतः निजी विधि के क्षेत्र में आते हैं, उनका निराकरण सिविल न्यायालयों या मध्यस्थ द्वारा किया जाना चाहिए, विशेषकर जब करार में माध्यस्थम् का प्रावधान हो। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका के माध्यम से लोक विधि का उपाय करार के उल्लंघन के लिए हर्जाना या विनिर्दिष्ट अनुपालन प्राप्त करने हेतु उपलब्ध नहीं है। यदि कोई पक्ष संविदात्मक विवाद में निजी विधि के उपाय (जैसे वाद) के स्थान पर लोक विधि के उपाय (रिट याचिका) का चयन करता है, तो उसे अपने संविदात्मक अधिकारों का पूर्ण परीक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि केवल प्रशासनिक कार्यवाही का न्यायिक पुनर्विलोकन ही प्राप्त होगा। उपर्युक्त सिद्धांतों को विभिन्न निर्णयों में स्थापित किया गया है, जैसे— *श्रिलेखा विद्यार्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* (एआईआर 1991 एससी 537), *एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड एवं अन्य बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।* {(2004) 3 एससीसी 553}, *कर्नाटक स्टेट फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन बनाम इंडिया रॉक्स* {(2009) 1 एससीसी 150}, *सुशीला केमिकल्स प्रा. लि. एवं एक अन्य बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य* {(2010) 10 एससीसी 388},तथा *हरबंसलाल सहनिया एवं एक अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य* {(2003) 2 एससीसी 107}—इत्यादि, जो इस विषय पर स्थापित विधिक सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) उपर्युक्त रूप से इस न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान मामले में कोई भी ऐसा आधार सिद्ध नहीं होता जिसमें लोक विधि का तत्व सम्मिलित हो। जो विवाद शेष रह

2013:CGHC:3705

जाता है, वह पूर्णतः संविदात्मक प्रकृति का है, जो करार की शर्तों के प्रवर्तन से संबंधित है। अतः इस प्रकार के मामले में, जिसमें कोई लोक विधि तत्व न हो, यह रिट याचिका वैकल्पिक उपाय अर्थात् माध्यस्थम् के माध्यम से विवाद उठाने की उपलब्धता के संबंध में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है। विशेष रूप से इसलिए भी कि मूल विवाद यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने बिक्री लक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित करार की शर्तों का पालन करने में विफलता की है। याचिकाकर्ता ने अनेक परिस्थितियाँ, औचित्य एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं, किन्तु उत्तरवादी उन स्पष्टीकरणों से संतुष्ट नहीं हैं। अतः यह विवाद मुख्यतः गंभीर रूप से विवादित तथ्यों के निर्धारण पर निर्भर करता है। इसी कारण से भी यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

(18) परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका पोषणीयता के अभाव में खारिज की जाती है, तथापि याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह करार में निहित माध्यस्थम् प्रावधान के अंतर्गत विवाद प्रस्तुत कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) अतः याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।

(20) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .... Aniruddha Shrivastava, Advocate